बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 2 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
मंगलवार, दिनांक 27.2.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 4.20 अपराह्न तक

1. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

माननीय उप सभापति महोदय ने बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 28 के अंतर्गत दिनांक 27.2.2018 की कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को सदन के समक्ष उपस्थापित किया, जिसमें निम्न निर्णय लिए गए –

1. गुरुवार, दिनांक 1 मार्च, 2018 को सदन की बैठक नहीं हो,
2. गुरुवार, दिनांक 1 मार्च, 2018 के लिए पूर्व से निर्धारित कार्य अब सोमवार, दिनांक 5 मार्च, 2018 को लिए जाएं।

2. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को सदन द्वारा स्वीकृत किया जाना

माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 27.2.2018 के कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सदन द्वारा स्वीकृत हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव एवं उनपर आसन का निर्णय

माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर में बच्चों की सड़क दुर्घटना के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर आसन से यह निर्णय देने की कृपा की गयी कि माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार के कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव के निष्पादन की प्रक्रिया की कंडिका-6 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया। माननीय सदस्य के कार्य स्थगन के समर्थन में राजद के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से बोलते हुए तथा पोस्टर लहराते हुए सदन वेश्म में चले आये जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से बोलती रहीं।

माननीय सदस्य डा. दिलीप कुमार चौधरी ने अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में कदाचार रोकने के नाम पर छात्राओं को जूते-चप्पल उतारकर परीक्षा में शामिल कराये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर आसन से यह निर्णय देने की कृपा की गयी कि माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी सहित तीन माननीय सदस्यों से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्तावों के अस्वीकृति के आधार संख्या 4, 5, 9, 25, 29 एवं 34 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह ने राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लगभग आठ हजार शिक्षकों, लगभग तीस हजार शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं पचीस हजार पेंशनरों के वेतन एवं पेंशन का भुगतान पांच महीने से नहीं होने तथा उनका भुगतान होली के अवसर पर भी नहीं होने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर आसन से यह निर्णय देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव के निष्पादन की प्रक्रिया की कंडिका-6 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

सदन वेश्म से यथावत् नारेबाजी होती रही जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से सड़क दुर्घटना के दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग करती रहीं।

3. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या-1 उत्तरित हुआ।

(वेश्म से नारेबाजी होती रही। बारंबार अनुरोध के बावजूद राजद के माननीय सदस्यगण अपने स्थानों पर नहीं गये। तब आसन से यह अनुरोध किया गया कि जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, सदन की मेज पर रख दिये जायें)

प्रश्न संख्या-8 स्थगित हुआ।

प्रश्न संख्या– 6, 7 व्यपगत हुए।

प्रश्न संख्या– 2, 3, 4, 5, 9, 10 सदन पटल पर रखे गए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या– 1 से 9 तक एवं 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 सदन पटल पर रखे गए।

प्रश्न संख्या– 16 कार्यसूची में अंकित नहीं है।

प्रश्न संख्या- 10 व्यपगत हुआ।

(इस अवसर पर आसन से बार-बार अनुरोध के बावजूद राजद के माननीय सदस्यगण वेश्म से पोस्टर दिखाते हुए नारेबाजी करते रहे, जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार के कार्य स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में बोलती रहीं। अंततः आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की कार्यवाही 2.30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।)

(अंतराल)

अंतराल के बाद सदन की कार्यवाही आरम्भ होते ही माननीय सदस्य श्री सुबोध कुमार ने अपने कार्यस्थगन की ओर पुनः आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि उस पर नियमन हो चुका है, तीन कार्यस्थगन प्रस्तावों को नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है। परन्तु राजद के माननीय सदस्यगण पोस्टर दिखाते हुए तथा नारेबाजी करते हुए सदन वेश्म में चले आये। माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से स्पष्ट रूप से कहा कि किसी को कोई संरक्षण नहीं है, कानून का राज है, कानून से राज चलेगा और कानून सम्मत कार्रवाई होगी – यह सरकार की तरफ से भी कहा गया है तथा सदन की भावना को देते हुए सरकार इसमें तुरंत कार्रवाई करे। सरकार के माननीय मंत्री बैठे हैं, इनका भी बयान आया है। सदन को चलने दीजिए। आसन से खड़े होकर माननीय उप सभापति महोदय ने माननीय सदस्यों से वेश्म से जाने का अनुरोध किया और कहा कि आपकी बातें सुन ली गई, कृपया बैठ जाइए। परन्तु यथावत नारेबाजी जारी रही जबकि इस दौरान माननीय सदस्या श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से खड़े होकर कार्यस्थगन के समर्थन में बोलते रहीं।

आसन का नियमन

माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से नियमन देने की कृपा की कि सभी ध्यानाकर्षणों को पढ़ा हुआ मान लिया जाए और माननीय मंत्रिगण उसका उत्तर दें।

4. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री संजीव श्याम सिंह द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी. और सुपरस्पेशियलिटी की पढ़ाई के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इस पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

आसन का अनुरोध

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन वेश्म से हो रही नारेबाजी पर माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि सारे ध्यानाकर्षण जनता से जुड़े हुए हैं। सदन की भावना को देखते हुए

आपलोग प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण में सरकार के उत्तर को बाधित न करें। यह आपसे आग्रह है, कृपया बैठ जाएं। इसके बाद महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी आपलोगों को बोलना है।

2. माननीय सदस्य, सतीश कुमार द्वारा राज्य की बन्द चीनी मिलों की भूमि के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री दिलीप राय द्वारा पटना स्थित राजेन्द्र नगर नेत्र अस्पताल को सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के संबंध में ध्यानाकर्षण पर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, श्री सुमन कुमार द्वारा मधुबनी जिला के लखनौर प्रखंड अंतर्गत ग्राम-पो.-लौका टोला (रघुनाथपुर) वार्ड नं.-10 निवासी स्व. रामलखन महतो के मृत्योपरांत सेवोत्तर लाभों का भुगतान उनके उत्तराधिकारी को करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

सदन वेश्म से यथावत नारेबाजी होती रही। अंतत: माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से सदन की कार्यवाही 3:30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने पुन: अपने कार्यस्थगन की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि इसपर नियमन हो चुका है। परंतु राजद के माननीय सदस्यगण कार्यस्थगन के समर्थन में बोलते हुए पोस्टर दिखाते हुए सदन वेश्म में चले आए तथा जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से बोलती रहीं।

ध्यानाकर्षण

5. माननीय सदस्य, श्री आदित्य नारायण पाण्डेय द्वारा गोपालगंज स्थित सासामुसा चीनी मिल को चालू कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन में हो रही नारेबाजी पर आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने कहा कि यह किसानों के हित का मामला है, कृपया इसको समझिए। चीनी मिल बंद है। कृपया बैठिये। आसन से माननीय

उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि माननीय मंत्री महोदय, यह किसानों के हित का मामला है, वहां के किसानों को दूर जाना पड़ता है, इसलिए इसको प्राथमिकता से देखिए और अगर चालू हो जाता है तो चालू करवाइए।

माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने सदन में राजद के माननीय सदस्यों द्वारा हो रही नारेबाजी पर आपत्ति व्यक्त किया। माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से नियमन देने की कृपा की कि इस मामले को आपलोग ध्यानाकर्षण के माध्यम से लाईए, कल आएगा, सरकार इसका उत्तर देगी। मैं बार-बार माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर विमर्श हो रहा है, आपलोग अपने स्थान पर चले जाएं। आप सदन की मर्यादा के साथ खिलवाड़ नहीं करें। परंतु आसन से खड़े होकर बारंबार अनुरोध के बावजूद नारेबाजी जारी रही। माननीय मंत्री, श्री विनोद नारायण झा ने कहा कि सरकार जवाब देने नहीं भागेगी, जो भी प्रश्न उठाना चाहेंगे, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। जिस मुजफ्फरपुर में हुई घटना की बात आपलोग कर रहे हैं, बीजेपी के उस कार्यकर्त्ता को पार्टी से निकाल दिया गया है और बच्चों की हत्या का मुकदमा उसपर चल रहा है। किसी भी हालत में सरकार उसको नहीं छोड़ेगी और उसका कानून के हवाले करेगी। लेकिन इसपर अगर सरकार से जवाब चाहते हैं तो सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन जो कार्य संचालन नियमावली के अनुरूप है उसके तहत उठाइए, सरकार जवाब देगी।

पुन: आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने अनुरोध किया कि रजनीश बाबू को बोलना है, उसके बाद तीन माननीय सदस्यों का संशोधन है, उसपर भी जवाब होना हे, इसलिए कृपया बैठ जाएं।

5. वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यय का उपस्थापन

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया गया।

6. वित्तीय वर्ष 2017-18 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी का उपस्थापन

श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी का उपस्थापन किया गया।

7. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. डा. रामवचन राय
2. श्री रजनीश कुमार

(आसन के द्वारा पुकारे जाने पर माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने जैसे ही बोलना आरंभ किया, राजद के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से उनपर भी आरोप लगाने लगे, जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से सरकार विरोधी बातें बोलती रहीं। माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से नियमन दिया कि जो हंगामा कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। अंतत: सदन के व्यवस्थित नहीं होने की स्थिति में घोषणा की कि जो संशोधन प्रस्ताव आए हैं, आज उसपर विचार हो रहा है, कल भी उसपर विचार होगा।

8. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. प्रो. संजय कुमार सिंह
2. प्रो. नवल किशोर यादव
3. श्री राधाचरण साह
4. श्री राजेश राम
5. श्री सी.पी. सिन्हा
6. श्री वीरेन्द्र नारायण यादव

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 28.2.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

27/2/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 319 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 27.2.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
27-2-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।